

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 296]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई 2016—श्रावण 6, शक 1938

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-10/2016/32.— राज्य शासन, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितकरण (संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 21 सन् 2016) की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत उक्त अधिनियम दिनांक 01-08-2016 से प्रवृत्त करता है.

2. इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4936/4808/18/2002 दिनांक 01-08-2002 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितकरण अधिनियम, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) की धारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर, दिनांक 01 अगस्त, 2016 को अधिसूचित दिनांक घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 7-10/2016/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-07-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur, the 28th July 2016

NOTIFICATION

No. F 7-10/2016/32 — The State Government, Under Sub-Section (2) of Section 1 of Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016 (No. 21 of 2016) shall come into force from August 1, 2016.

2. In exercise of the powers conferred by Section 2 of the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikan Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002) and in supersession of its earlier Notification Number 4936/4808/18/2002 dated 01-08-2002, the State Government hereby declares as the Notified date August 1, 2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY SHUKLA, Secretary.